

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास), जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

E-mail:-dposurajpur@gmail.com

क्र. / 1026 / मबावि / स्था. / 2026-27

सूरजपुर, दिनांक-16 .07.2026

// प्रेस विज्ञप्ति //

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि- 05/08/2026

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु जिले में 02 स्वीकृत संविदा पदों आई0टी0 असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री आपरेटर (PMMVY) की पदपूर्ति हेतु आवेदन दिनांक- 05/08/2026 कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.surajpur.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जिला-सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक-16 .07.2026

क्र. / 1024 / मबावि / स्था. / 2026-27

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जि.पं.) जिला सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग जिला सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
जिला-सूरजपुर

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास), जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

E-mail:-dposurajpur@gmail.com

क्र. 1029/मबावि/स्था./2026-27

सूरजपुर, दिनांक- 16.07.2026

// विज्ञापन //

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्बेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु जिले में 02 संविदा रिक्त पद आई0टी0 असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री आपरेटर (PMMVY) की पूर्ति की जानी है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक- 05.08.2026 है, विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	आई0टी0 असिस्टेंट	1	0	1	7	20900
2	डाटा एंट्री आपरेटर (PMMVY)	1	0	1	4	14200

चयन हेतु आवश्यक शर्तें:-

01 आयु सीमा-

- आई0टी0 असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री आपरेटर (PMMVY) पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.07.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- आई0टी0 असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री आपरेटर (PMMVY) पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है उक्त हेतु 02 पद बोनस अंक दिये जायेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित

अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

➤ आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—

- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

- वॉक इन इन्टरव्यू हेतु 10 अंक एवं कौशल परीक्षा हेतु 10 अंक निर्धारित रहेंगे।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

➤ चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें:- भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:-

4.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMV Y	स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. आफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधक/ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेबवेबसेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठन में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	आई.टी. असिस्टेंट	कम्प्यूटर/आई.टी. क्षेत्र में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. आफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	• डाटा प्रबंधक/ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबवेबसेड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव।	• अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

➤ नियुक्ति की अवधि:-

- इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला

कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदन पत्र दिनांक-05/08/2026 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग कक्ष क्र. 14 जिला सूरजपुर (छ.ग.) में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जावेगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी .
जिला-सूरजपुर